पत्र संख्या–15 / डी0एल0ए0 समस्तीपुर (एस0एच0–88)–145 / 2013– पटना–15, दि0–

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

सं0 –1902/रा0, डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर दिनांक –25-07-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम सारंगपुर चादर नं0–4, परगना–सरैसा, थाना–समस्तीपुर, थाना नं0–279, जिला–समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् वरूणापुल से रसियारी पथ राज्य उच्च पथ सं0–88 का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम सारंगपुर चादर नं0–4 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश **1.105** एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं0 अंश 2021, 2016, 2015, 2171, 2170, 2023, 2036, 2040 एवं 2051 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

उत्तर :– अंश खेसरा सं0 2021, 2016, 2015, 2171, 2170।

पूरब :– सीमा रेखा ग्राम विशनपुर युसुफ थाना नं0 326

दक्षिण :– सड़क (पंचभिण्डा से दलसिंहससराय) वो अंश खेसरा सं0 2051, 2040, 2039, 2037, 2036, 2023

पश्चिम :– सड़क (पंचभिण्डा से दलसिंहससराय)

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा स्लेट या अन्य खनिजों के खानों और खनिजों के नाम व काम जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ये किये जाएंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1, 1884 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन (तथा बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर।

अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर।

समाहर्त्ता, समस्तीपुर।

सरकार के अवर सचिव

-1902/रा०
ज्ञापांक ..../डी० एल० ए० समस्तीपुर/पटना दिनांक 25-07-13

प्रतिलिपिः— (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को घोषणा के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू–अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।

(2) समाहर्त्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को घोषणा के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अलगे असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।

(4) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

(5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु:– यथोक्त।

17/7/13
सरकार के अवर सचिव